कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली
(सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांकः-- 2550

प्रेषक,

प्रेमचन्द
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(सर्व शिक्षा अभियान)–सह–
सदस्य, सचिव, वैशाली।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
संत जोन एकेडमी
एस०डी०ओ० रोड
हाजीपुर, वैशाली

हाजीपुर दिनांक 28/10/13

विषयः– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम–11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 28 / 11 / 11 और उसके क्रम में किए गए पत्राचार द्वारा विद्यालय के किए गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय संत जोन एकेडमी, एस०डी०ओ० रोड, हाजीपुर का कक्षा प्रथम से कक्षा अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षो मार्च 2013 से मार्च 2016 की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

आपके विद्यालय का आवंटित प्रस्वीकृति की संख्या RTE-VSL-26/2013 है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्रांचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।

प्रदत्त प्रस्वीकृति इसके साथ संलग्न पत्र में अंकित निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

विश्वासभाजन

(प्रेमचन्द)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(सर्व शिक्षा अभियान)--सह--
सदस्य, सचिव, वैशाली।

शर्तें

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगा।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 द्वारा नियमावली 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप में सुनिश्चित करेंगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा I में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पडोस के कमजोर बच्चों का करेगा तथा उन्हें "मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका–03 में उद्धत बच्चोंके मामले में संत जोन पब्लिक स्कूल .... विद्यालय ... बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेंगा।
5. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन में उसके उम्र प्रमाण–पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार हीं कर सकेंगा।
6. **विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाऐंगे:–**

   (i) किसी भी नामांकित बच्चें को किसी भी कक्षा में रोकर नही रखा जाएगा और ना किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

   (ii) किसी भी बच्चा को किसी प्रकार का शरीरिक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

   (iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के तहत् प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

7. बिहार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य क्रम का अनुसरण करेगा।
8. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
9. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचना अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
10. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
11. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाण–पत्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित प्रपत्र के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, वैशाली को भेजी जाएगी।
12. निदेशक, (प्रा॰शि॰), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, वैशाली के द्वारा समय–समय पर मांग किए गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्त्तों को लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों का अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जाएगा।
13. यदि विद्यालय द्वारा अपने स्थापित स्थल में यदि कोई परिवर्तन करता है तो इसकी सूचना कार्यालय को देंगे तथा कार्यालय की अनुमति के पश्चात ही विद्यालय अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त संबंधित अधिनियम एवं नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति संबंधी सभी संगत शर्त्तों का अनुपालन शतप्रतिशत प्रस्वीकृत विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान, –सह–
सदस्य सचिव, वैशाली